

22/7/2020

आज पत्रावली वकील कदी द्वारा मिसल
तलबी के प्र.पत्र पर पेपर डई वकील कदी
ने प्र.पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकारान
का आपसी राजी-नामा होने से नोटिसेस कर
प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया। चूंकि
वकील कदी द्वारा नोटिसेस किया प्रकरण चलाना
नहीं चाहते हैं अतः प्रकरण खारिज किया
जाता है। पत्रावली फंसल शुक्र होकर नंबर
से काम की जाकर दाखिल दफ्तार हो।

उपस्थंड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

Sir
Not
press
[Signature]

